न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री जगदीश प्रसाद पिता हगामी लाल ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री शयामलाल पिता हगामीलाल ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री बालकृष्ण पिता हगामीलाल ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री मदनलाल पिता हगामीलाल ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री गोर्धनलाल पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री शिवलाल पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्री रमेशचन्द्र पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री शांतिलाल पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्री लक्ष्मीलाल पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
9. श्रीमती कमला पिता भंवरलाल पिता ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
10. श्रीमती राधा पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
11. श्रीमान तहसीलदार सा. प्रतिनिधि सरकार

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी देवगढ़ दिनांक 05–01–2015 प्रकरण सं.
75/2013 रेवेन्यू वाद

———/———

1– श्री राजूसिंह रावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3
3– श्री मुकेश ओस्तवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1 व 4 से 9
4– राजकीय अधिवक्ता

———/———

निर्णय **दिनांक 15–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 वादी द्वारा अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत करते हुए ग्राम बगतपुरा की आराजीयात का विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15–12–2014 को उभयपक्ष के सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर शुदा आवेदन व रूपये 50/– के स्टाम्प पर सहमति विभाजन प्रस्ताव पेश किये जाने पर दिनांक 15–12–2014 को आदेशिका पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर लेने के बाद प्रकरण में दिनांक 24–2–2015 को विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री पारित कर राजीनामा अनुसार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील शीर्षक में निर्णय दिनांक 5–1–2015 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 13–1–2017 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया कि वह बम्बई में व्यवसाय करता है तथा उसके भाई के फोन करने पर उसने खाली स्टाम्प पर दिनांक 15–12–2014 को असम्यक बंटवारे पर धोखाधड़ी से हस्ताक्षर करवा लिये। उसे बिमारी की हालत में

निर्णय की जानकारी नहीं होने से मयाद कण्डोन की जाय। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 व 3 की और से खण्डन का जवाब पेश कर कहा कि बंटवाड़ा सहमति से हुआ है। अपीलान्ट बम्बई नहीं रहकर बगतपुरा में ही रहता है तथा उसके समस्त पहचान पहचान बगतपुरा से ही संबंधित है। उसने सहमति से हस्ताक्षर किये तथा कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। अपीलान्ट को अन्य भूमियां रिलीज–डीड से दी गई है। अपीलान्ट द्वारा 2 वर्ष की मयाद कण्डोन किये जाने के लिए कोई आधार नहीं दिया है तथा उसको निर्णय की जानकारी का क्या आधार है, यह भी नहीं बताया है।

प्रकरण में उभयपक्ष की दफा–5 पर बहस सुनी गई। आश्चर्यजनक रूप से राजीनामा आवेदन, राजीनामा स्टाम्प व आदेशिका दिनांक 15–12–2014 पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। दिनांक 5–1–2015 को पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 15–12–2014 के राजीनामा पर कोई निर्णय नहीं होकर दिनांक 12–1–2015 की पेशी दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने 15–12–2014 के अपीलान्ट की सहमति शुदा राजीनामा पर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24–2–2015 को पारित की है। दिनांक 5–1–2015 को कोई प्रभावी निर्णय हुआ ही नहीं है। जबकि अपील 5–1–2015 के निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है तथा मयाद में भी यही तारीख लिखी गई है।

अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस बिमारी से संबंधित पत्रादि पेश किये है जो जांच के कागजात है जिसमें अंतिम रिपोर्ट्स अक्टूबर 2014 की है, जबकि राजीनामा दिसम्बर 2014 में हुआ है।

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा निम्नांकित दस्तावेज पेश किये है :–

1. फोटो कोपी राशन कार्ड
2. फोटो कोपी निर्वाचन पहचान पत्र
3. फोटो कोपी खाता डायरी एम.ए.सी.बी.
4. फोटो कोपी रजिटर्ड रिलीज डी दिनांक 15–12–14 रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जगदीश अपीलान्ट के पक्ष में।
5. फोटो कोपी रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 15–12–14 रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट के पक्ष में

6. हक त्याग विलेख रजिस्टर्ड 1512–14

7. रजिस्टर्ड हक त्याग ि15–12–14

8. रजिस्टर्ड हक त्याग

उपरोक्त दस्तावेज 1 से 8 तक निम्नानुसार पेश किये, जिसमें अपीलान्ट बगतपुरा का निवासी होना तथा दिनांक 15–12–2014 को अन्य रिलीज–डीड अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित होना प्रकट आता है। अपीलान्ट के दिनांक 15–12–2014 को या इससे तुरन्त पहले बिमार होकर बम्बई रहना प्रमाणित नहीं है। आवेदन राजीनामा, स्टाम्प राजीनामा, न्यायालय आदेशिका तीनों दिनांक 15–12–2014 पर अपीलान्ट के सहमति हस्ताक्षर उपलब्ध है। दिनांक 15–12–2014 के राजीनामा पर निर्णय भी दिनांक 24–2–2015 को हुआ है। अपीलान्ट को फरवरी, 2015 से लेकर जनवरी, 2017 तक 2 वर्षो तक उक्त निर्णय की जानकारी नहीं होने का प्रथम दृष्टया कोई आधार ही नहीं है तथा उक्त निर्णय की जानकारी यदि उसे स्वयं राजीनामा करते समय नहीं थी, तो यह जानकारी कब व कैसे हुई, इस बाबत भी कोई उल्लेख नहीं किया है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से करीब 2 वर्ष के विलम्ब को कण्डोन किये जाने की लिए कोई उचित व पर्याप्त की जगह कोई आधार ही उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर R.R.T. 2007 (2) पेज 788 एवं R.R.D. 1988 पेज 22 जिसमें विलम्ब के लिए उचित एवं पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं करने पर मयाद कण्डोन नहीं किये जा सकने के न्यायिक अभिमत वर्णित है, जो इस प्रकरण पर लागू होते है। अतएव प्रथम दृष्टया ही अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खरिज योग्य है।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 व 3 की और से अधिवक्त श्री अक्षय पालीवाल तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 4 से 9 की और से अधिवक्ता श्री मुकेश ओस्तवाल ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 की और से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित रहे।

प्रकरण में न्यायहित में हम गुणावगुण पर भी सुनी गई बहस के आधार पर निर्णय करना उचित समझते है।

अपीलान्ट के प्रमुक अपील उजर यह है कि बंटवाड़ा असमान है तथा उसने सहमति नहीं दी है। अधिवक्ता द्वारा पहचान भी नहीं की गई है। तहसीलदार की भी सहमति नहीं है।

हमारे द्वारा यह पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में **आवेदन/सहमति स्टाम्प व न्यायालय आदेशिका पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है।** अब राजीनामा डिक्री के विरूद्ध अपील श्रवर्णाधिकार राजस्व न्यायालय का क्षैत्राधिकार ही नहीं है। राजीनामा डिक्री के विरूद्ध अपील लाई ही नहीं होती। अपीलान्ट द्वारा इसी दिनांक को रिलीज–डीड से उसे भूमियां प्राप्त होने को भी छुपाया गया है। उपरोक्त गुणावगुण आधार पर भी अपील पोषणीय नहीं है।

हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सरहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 5–1–2015 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....

उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री जगदीश प्रसाद पिता हगामीलाल ब्राह्मण निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

बनाम

1– श्री श्यामलाल पिता हगामी लाल ब्राह्मण नि.बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द अन्य–9 व सरकार

अपील नं0 **10/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **देवगढ़** ..... मुकाम मुर्क्खे.....**05**.....माह.....**01**..... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**15**..... माह .....**11**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री राजूसिंह रावत** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री अक्षय पालीवाल व मुकेश ओस्तवाल** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सरहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 5–1–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**15**..... माह ...**11**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।